उच्चन्यायालय - High Court

अनु० २१४ :- प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा।

अब तक भारत मे HC - 25

राज्य - 28
UT - 8
36

2013 से पहले - 21 HC थी
↳ 3 HC → मेघालय, मणीपुर, त्रिपुरा
2020 मे HC → आन्ध्र प्रदेश

↳ HC के क्षेत्राधिकार का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है।

अनु - 217 :- राज्य मे एक HC होगा, जोकी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य उतने ही न्यायधीशों से बनेगा जितना राष्ट्रपति नियुक्त करें।

योग्यता :- ① भारत का नागरिक हो।

② एक या एक से अधिक न्यायालय मे लगातार 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्य किया हो।

या / or

③ एक या एक से अधिक HC मे 10 वर्ष तक अधिवक्ता पद पर लगातार कार्य किया हो।

संसद
LS → 100 सदस्य आरोप ⇓ अध्यक्ष
RS → 50 सदस्य आरोप ⇓ सभापति

नियुक्ति – राष्ट्रपति के द्वारा

HC → राज्य → न्यायाधीश का वेतन → राज्य के राजकोष
⇓
पेंशन → भारत के संचित निधि

कार्यकाल :- ① अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक
↳ 15 वां C.A.A. 1963 के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।

② त्यागपत्र राष्ट्रपति को।

③ साबित कदाचार / एवं शारीरिक असमर्थता के आधार पर दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा। ← संसद

क्षेत्राधिकार :-

- → प्रारम्भिक या मूल क्षेत्राधिकार
- → अपिलिय क्षेत्राधिकार
  - ↳ HC को राज्य का प्रथम न्यायालय या अपिलिय न्यायालय कहते है।

① प्रारम्भिक या मूल क्षेत्राधिकार :-

↳ संसद, विधानमंडल, नगर. निगम के निर्वाचन सम्बंधित विवाद HC में सुना जायेगा।

↳ अपिलिप क्षेत्राधिकार :- जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध HC मे अपिल कर सकते है।

अनु० 226 :- HC संविधान या मूल अधिकार के हनन पर Writ जारी कर सकेगा।

✓ ① बंदि प्रत्यक्षीकरण - Habea Carpus सशरीर गिरफ्तार
② परमादेश - Mandamas → आदेश देना
③ अधिकार पृच्छा - quo Warranto → अधिकार का पुछा जाना
④ प्रतिषेध - Prohibition → रोक लगाना
⑤ उत्प्रेषण - Certiorai → मगा लेना

* नेषेधाधिकार Writ → मना करना।

HC से सम्बंधित GS

* सबसे अधिक क्षेत्राधिकार वाला - HC → गुवाहाटी HC —
  - → असम
  - → नागालैण्ड
  - → अरुणाचल
  - → मिजोरम
* सबसे अधिक न्यायधीशों वाला HC — इलाहाबाद
* ऐसा UT राज्य जिसका अपना HC है — दिल्ली और J.K.
* ऐसा UT राज्य जहा पंजाब और हरियाणा का HC है — चण्डीगढ़
* सर्वप्रथम HC खोला गया - कलकत्ता, मद्रास, बम्बई - 1862
* अण्डमान निकोबार द्वीप समूह का HC → कलकत्ता HC
* गोवा, दादरानगर हवेली, दमन दी का HC → बम्बई HC
* पुडुचेरी का HC → मद्रास HC
* लक्षद्वीप का HC → अर्नाकुलम केरल

अनु० 233 :

जिला एवं सत्र न्यायालय

- दिवानी
  - ↓ जिला न्यायालय
  - ⇓ जिला न्यायाधीश।
- फौजदारी / अपराधीक
  - ⇓ सत्र न्यायालय
  - ⇓ सत्र न्यायाधीश।

* दिवानी मामले जिला न्यायालय मे तथा अपराधिक मामले सत्र न्यायालय मे होगा।

* जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जायेगा।

* जिला न्यायाधीश दो प्रकार से नियुक्त होंगे।
  - लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परिक्षा से ⇓ IAS.
  - ऐसा व्यक्ति जिसे जिला न्यायालय में 7 वर्ष का अधिवक्ता पद का अनुभव हो।

* जिला न्यायाधीश न्यायिक कार्य के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होता है।